तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S. Act Case No. 26/2021	नम्बर व तारिख ... इस हुक्म कौतामिल में जारी हुए

16.6.2021

श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी किशन सेठिया पुत्र जवानमल जी, जाति– जैन, निवासी– आर्य समाज रोड, सिरोही, जिला– उपस्थित। प्रतिवादी किशन सेठिया ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अभियुक्त मैसर्स सेठिया स्वीट एण्ड नमकीन के नाम से व्यवसाय करता है जिसका किट्टी के लड्डू का सेम्पल भरा गया था जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अभियुक्त एक गरीब परिवार का सदस्य है व उसकी छोटी सी दुकान है तथा किट्टी के लड्डू बनाकर बेचता है जिसमें मावा पशुपालकों से खरीद कर लाते है व अभियुक्त द्वारा कोई मावा तैयार नही किया जाता है। गत एक साल से कोरोना माहमारी चल रही है जिससे प्रार्थी का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है व काफी समय से दुकान बन्द चल रही है जिससे घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गय है। प्रार्थी अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, इसलिये रहम नजर कर कार्यवाही समाप्त करावे।

प्रतिवादी किशन सेठिया द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर अपराध स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में प्रतिवादी किशन सेठिया को सुना गया। प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.11.2020 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म सेठिया स्वीट एण्ड नमकीन भण्डार, नीलवनी चौक, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी किशन सेठिया पुत्र जवानमल जी, जाति– जैन, निवासी– आर्य समाज रोड, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड किट्टी के लड्डू बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले प्रोपराईटरी फूड किट्टी के लड्डू के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड किट्टी के लड्डू लगभग 7 किलोग्राम में 2 किलोग्राम प्रोपराईटरी फूड किट्टी के लड्डू को जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना [illegible] कार्यवाही करते हुए प्रोपराईटरी फूड किट्टी [illegible] के नमूना संख्या S-1252 को जांच हेतु [illegible] जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट [illegible]ांक L.S./857/Act/2020/ 857 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार अमानक

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.26/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

(Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, ... से सिद्ध प्रतिवादी किशन सेठिया पुत्र जवानमल जी, जाति– जैन, निवासी– आर्य समाज रोड, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स सेठिया स्वीट एण्ड नमकीन भण्डार, नीलवनी चौक, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड किट्टी के लड्डू का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी किशन सेठिया पुत्र जवानमल जी, जाति– जैन, निवासी– आर्य समाज रोड, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स सेठिया स्वीट एण्ड नमकीन भण्डार, नीलवनी चौक, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,025/– (अक्षरे रुपये पांच हजार पच्चीस मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी किशन सेठिया पुत्र जवानमल जी, जाति– जैन, निवासी– आर्य समाज रोड, सिरोही, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

माफिक निर्णय प्रतिवादी किशन सेठिया पुत्र जवानमल जी, जाति– जैन, निवासी– आर्य समाज रोड, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स सेठिया स्वीट एण्ड नमकीन भण्डार, नीलवनी चौक, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही, ने भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सिरोही द्वारा राशि रुपये 5,025/– (अक्षरे रुपये पांच हजार पच्चीस मात्र) का न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में जारी डी.डी. /मल्टी सिटी चैक संख्या 878086 दिनांक 16.6.2021 का इस न्यायालय में जमा करवाया है। अतः उक्त डी.डी./चैक की राशि जरिये चालान राजकोष में संबंधित मद में जमा करवाई जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।

16/6/2021

(... मालवीया)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:30 IST
Reason: SelfAttested